XXX-Part.—21

रूप क्रमांक २

(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

भोपाल डी. संभाग

क्रमांक 1012/92

यह प्रमाणित किया जाता है कि डी. एल. आर्य शिक्षा समिति ....

समिति जो एल. आई. जी. 96–इन्दिरा नगर मण्डीदीप, तहसील .... गौहरगंज ....,

जिला .... ~~मण्डीदीप~~ रायसेन .... में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन .... 27 अप्रैल 1992 .... को पंजीयित की गई है।

दिनांक ..... सत्ताईस ..... माह ..... अप्रैल .... सन् १९९२

मुद्रा

(आनन्द मोहन सक्सेना)
अति. रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

PRINCIPAL

MANAGER

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय ...
जानकारी प्रस्तुत करने के लिय प्रपत्र

6. सोसायटी का नाम, पूरा पता, : सी. एल. आर्य शिक्षा समिति, एल डब्ल्यू एस 187 पटेल नगर, मण्डीदीप जिला – रायसेन

मोबाइल नं. तथा ई–मेल आई. डी. : 9425359190, spjaiswal100264@gmail.com

7. पंजीयन कमांक तथा तारीख : 1012/92 दिनांक 27/04/1992

8. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 12/07/2023

	नाम पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल नं.	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1	श्री शिवप्रसाद जायसवाल पुत्र स्व. छोटेलाल जायसवाल	50 A शालीमार सेवेन गार्डन भोपाल	9425359190	अध्यक्ष	सर्विस	[signature]
2	श्री सुमित जायसवाल पुत्र श्री शिवप्रसाद जायसवाल	50 A शालीमार सेवेन गार्डन भोपाल	9039194050	उपाध्यक्ष	व्यापार	Sumit
3	श्री रामचन्द्र जायसवाल पुत्र स्व. छोटेलाल जायसवाल	ई0 – 203 पटेल नगर मण्डीदीप, रायसेन	9039929719	सचिव	व्यापार	रामचन्द्र जायसवाल
4	श्रीमति किरण जायसवाल पत्नि श्री शिवप्रसाद जायसवाल	50 A शालीमार सेवेन गार्डन भोपाल	7999920437	कोषाध्यक्ष	सर्विस	[signature]
5	श्रीमति समीक्षा पत्नि श्री अमित शुक्ल	UG 01 पॉकेट ए सागर रॉयल विलास भोपाल	8462808102	संयुक्त सचिव	सर्विस	Sameeksha
6	श्री वीरेंद्र जायसवालश्री पुत्र दिनेश जायसवाल	म. न. 7 शीतल टाउन मण्डीदीप, रायसेन	9770005353	सदस्य	सर्विस	वीरेन्द्र कुमार
7	श्री अमित शुक्ल पुत्र श्री घनश्याम शुक्ल	UG 01 पॉकेट ए सागर रॉयल विलास भोपाल	7021287400	सदस्य	सर्विस	Amit

9. विद्यमान पदाधिकारीयों की सूची : कार्यकाल 12/07/2022 से 11/07/2025 तक

10. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन रु0 4000/– की वार्षिक फीस ऑनलाईन चालान दिनांक 11/12/2023 के माध्यम से जमा कर दी गई हैं, उसकी प्रति संलग्न है, चालान आइडेन्टिफिकेशन (CIN) SBIN00061591475111220230533398 है ।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

घोषणा

मैं शिवप्रसाद जायसवाल पिता स्व. छोटेलाल जायसवाल आयु लगभग 58 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी (अध्यक्ष) के रुप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है । सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में हैं । मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड का/की दायी रहूंगा/रहूंगी ।

दिनांक – 12/7/2023

हस्ताक्षर :
नाम : शिवप्रसाद जायसवाल
पदनाम (अध्यक्ष/सचिव) : अध्यक्ष
मोबाइल नं. : 9425359190
ईमेल आई. डी. : spjaiswal100264@gmail.com

अध्यक्ष
सी.एल.आर्य शिक्षा समिति
मण्डीदीप, जिला–रायसेन

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

(संजय दीक्षित)
असि.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग,भोपाल (म.प्र.)

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

20/10/2023

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नामः– सी. एल. आर्य शिक्षा समिति
2. संस्था का कार्यालय :– एल. डब्ल्यू. एस.–187, पटेल नगर, मण्डीदीप, तहसील– गौहरगंज, जिला– रायसेन म.प्र.
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : मण्डीदीप जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा।
4. संस्था का उद्धेश्य :–
   1) पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर पर आर्कषक एवं प्रभावी ढंग से विज्ञान की शिक्षा का प्रचार करना।
   2) हरिजन आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग में साक्षरता का प्रसार करना।
   3) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
   4) समाज उपयोगी सेवाये करना।
   5) नशामुक्ति व व्यसन मुक्ति का प्रचार प्रसार एवं जनचेतना का विकास करना।
   6) किसानों को आधुनिक कृषि व उन्नत किस्म के बीजों के प्रति जागरूक करना व गौशाला तैयार करना व गौमाता की सेवा करना।
   7) गरीब तथा बेरोजगार व्यक्तियों को तकनीकी एवं हस्तकला प्रशिक्षण देना एवं उनके स्वरोजगार में सहयोग प्रदान करना।
   8) प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।
   9) विभिन्न बीमारी जैसे मलेरिया, पोलियो, स्वाईन फ्लू, बैक्टीरिया जनित बीमारियों आदि की रोकथाम हेतु जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
   10) शासन द्वारा संचालित समस्त शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना तथा हितग्राही को उसका लाभ दिलाने का प्रयास करना।

पंजीयन क्रमांक 1012
रजिस्ट्रेशन दिनांक 27/5/92
संशोधन दिनांक 12/11/21
असि. रजिस्ट्रार

5. सदस्यता– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः–
   (अ) संरक्षण सदस्यः संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 501/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
   (ब) आजीवन सदस्यः जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 101/– या अधिक देगा, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 400/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

अध्यक्ष — सचिव — कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।

(3) वह तारीख, जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवित् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी में एवं पदाधिकारियों के मार्ग दर्शन में कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 1012
रजिस्ट्रेशन दिनांक 27/4/92
संशोधन दिनांक 12/11/21

अति. रजिस्ट्रार / ASST. REGISTRAR

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:–

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल**– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य**–

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष की आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ, प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

ई. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

च. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

झ. संस्था अपने उद्धेश्यों की पूर्ति करने के लिए किसी भी संस्था अथवा बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

संशोधन दिनांक 22/6/92
संशोधन दिनांक 12/11/21

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

15. अध्यक्ष के अधिकार– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्यामक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. ...1012
रजिस्ट्रेशन दिनांक ...27/1/92
संशोधन दिनांक ...12/11/21
डिप्टी रजिस्ट्रार

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र और सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से पहले प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 500/– व्यय करने का अधिकार होगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. बैंक खाता– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव (मंत्री) तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 300/– रूपये रहेंगे।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची प्रस्तुत की जावेगी तथा धारा 28 के अर्न्तगत संस्था एवं संचालित इकाईयों का समिति का परीक्षित लेखा भेजेगी।

21. संशोधन– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. विघटन– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL

समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. सम्पत्ति– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेंगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

24. बैंक खाता– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना– संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. विवाद– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार को विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

असि. रजिस्ट्रार

शुल्क रुपये 300/- प्राप्त ... यह मूल
दिनांक 6/10/23
दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है
जारी होने की दिनांक

सोसायटी रजिस्ट्रेशन 1012
रजिस्ट्रेशन दिनांक 23/4/92
संशोधन दिनांक 12/11/21
अति. रजिस्ट्रार

T.C.

6/10/23
सहायक पंजीयक
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

2971-23

कार्यालय असि.रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल नर्मदापुरम संभाग
डी. ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 12/11/2021

क्रमांक/संशो./ 1714/21

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
सी.एल. आर्य शिक्षा समिति
एल.आई.जी. 96, इन्दिरा नगर,
मण्डीदीप तहसील गोहरगंज जिला रायसेन

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ / ASSTT. REGISTRAR OF SOCIETY भोपाल

संशोधित पताः—एल.डब्ल्यू.एस.—187, पटेल नगर, मण्डीदीप, जिला रायसेन

विषयः— संशोधन प्रस्ताव कें संबंध में।
संदर्भः— संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 09.11.2021

—00—

संस्था सी.एल.आर्य शिक्षा समिति रायसेन पंजीयन क्रमांक/1012 /92 दिनांक 27.04.1992 पर पंजीयत है। उक्त संस्था की ओर से संदर्भित पत्र के साथ सलंग्न तुलनात्मक विवरण में उल्लेखित संशोधनों को पंजीकृत करनें हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1973 की धारा—10 के अधीन आज दिनांक 12/11/2021 को पंजीकृत किया जाता है।

असि.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ / ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

T. C.

शुल्क रुपये 80/ ... चालान नं./रसीद नं. ...
दिनांक 28/11 को प्रेषित गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित ...
जारी होने की दिनांक ...
सहायक के हस्ताक्षर

सहायक ग्रेड ... 29/11/23
... फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल

MANAGER
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
Mandideep, Distt. Raisen (M.P.)

PRINCIPAL
CLRR INTELLECTUAL
INTERNATIONAL SCHOOL
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)